हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

14/3/2022

बुलाया उप०

वकील अभावीगण ने जबाव पेश करने हेतु समय चाहा है। अतः न्यायहित मे समय दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 22/3/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देहूली (टोंक)

22/3/2022

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीगण अधिवक्ता भरतकुमार रांवलकी उप०

वादीगण अधिवक्ता ने मूल वाद मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम-1 (3) सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 92 (A) 188 RT-Act 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध सीमाज के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था। वादीगण यह वाद इसमे कुछ प्रारूपिक त्रुटि रह जाने से सद्भावना पूर्वक आगे नही चलाना चाहता है। जिससे यह वाद नये वाद हेतुक के आधार पर नये वाद की अनुमति सहित विड्रोवल करना चाहता है।

वादीगण अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया तथा मूल वाद ~~प्रार्थी~~ वादीगण के प्रार्थना-पत्र अनुसार विड्रोवल किया गया। अतः मूल वाद विड्रोवल होने से 212 RT-Act का कोई महत्व नही रहता है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 RT Act स्वीकृत किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देहूली

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested